SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRMINAL PROCEDURE CODE; 1898

Court of--- Anurag Sharma JMFC, PARASIYA

Case No 764/2022 Complaint or report made on 27-09-2022

Name and address of the complainant------------------------------------

आरक्षी केन्द्र रावनवाडा, जिला छिंदवाडा

Name, Parentage, caste and address of accused

आरोपी का नाम– मीराबाई पति सुनील जाबरे, उम्र 58 वर्ष,
निवासी–रावनवाड़ा खास, थाना रावनवाड़ा जिला छिंदवाडा

The office compainant of and date of, its alleged commission-

(1) घटना दिनांक 27.09.22 को समय 19:50–20:00 बजे के मध्य स्थान, आरोपिया के घर के पीछे बाड़ी से ग्राम रावनवाड़ा खास, थाना रावनवाड़ा से आपके ज्ञानयुक्त आधिपत्य से बगैर वैध अनुज्ञप्ति के 07 लीटर देशी महुआ शराब के जप्त किये गये।

अतः अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 34(1) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसका श्रवण क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।
क्या आप दोषी होने का अभिवाक करते हो या विचारण चाहते हो?

{अनुराग शर्मा}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
परासिया जिला छिंदवाडा

The plea of the accused and his examination (if any)-

अभियुक्त की प्ली..

अभियुक्त के हस्ताक्षर................................

{अनुराग शर्मा}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
परासिया जिला छिंदवाडा

The office proved, if any and in case under clause(d), clause (e), clause (g), or subsection (i) of Section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed.

(–:निर्णयः–)

(दिनांक 12.10.2022 को घोषित।)

1. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अधिरोपित आरोप है।

2. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध विवरण निर्मित कर, उसे अभियुक्त को पढ़कर, सुनाए एवं समझाए जाने पर, अभियुक्त द्वारा अपराध स्वेच्छया पूर्वक किया जाना स्वीकार किया गया। अभियुक्त की प्ली उसके शब्दों में अंकित की गई।

3. अभियुक्त को अपराध की स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप धारा 34(1) आबकारी एक्ट का दोषी ठहराया जाता है।

4. अभियोजन द्वारा, अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी विषयतः दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अभियुक्त का यह प्रथम अपराध ठहराया जाता है।

5. अभियुक्त, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 03 एवं 04 का लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

6. अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धी अपराध में उसे रूपये 1000/–रूपए (एक हजार रूपए) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के भुगतान में व्यतिक्रम होने की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास की सजा से पृथक से भुगताई जावेगी।

7. प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल 07 लीटर देशी महुआ शराब को अपीलावधि पश्चात, अन्यथा आदेश नहीं होने की दशा में विधिवत नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया। मेरे आलेख पर टंकित ।

सही/–
{अनुराग शर्मा}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
परासिया जिला छिंदवाडा

सही/–
{अनुराग शर्मा}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
परासिया जिला छिंदवाडा

ANURAG SHARMA
Digitally signed by ANURAG SHARMA
Date: 2022.10.12 14:36:01 +0530